न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 38/प्रा0पत्र/2019

1. घासीलाल आयु 55 वर्ष आ0 श्री सेवा जाति गुर्जर निवासी हुवालिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
2. जमनालाल आयु 60 वर्ष आ0 श्री सेवा जाति गुर्जर निवासी हुवालिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कालू आयु 30 वर्ष आ0 श्री किशनलाल जाति गुर्जर निवासी हुवालिया
2. फौरू आयु 25 वर्ष आ0 श्री किशनलाल जाति गुर्जर निवासी हुवालिया
3. विष्णु आयु 22 वर्ष आ0 श्री किशनलाल जाति गुर्जर निवासी हुवालिया
4. कौशल्या आयु 28 वर्ष पुत्री श्री किशनलाल पत्नी श्री राजराम जाति गुर्जर निवासी हुवालिया
5. रामकंवरी आयु 55 वर्ष पत्नी श्री किशनलाल जाति गुर्जर निवासी हुवालिया
6. गायत्री आयु 35 पुत्री श्री किशनलाल पत्नी श्री राधेश्याम जाति गुर्जर निवासी खमारी मेण्डी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. बदाम आयु 45 वर्ष पुत्री श्री रूग्धा पत्नी श्री जगदीश जाति गुर्जर निवासी देईखेडा तहसील देवली जिला टोंक
8. सीता आयु 40 वर्ष पुत्री श्री रूग्धा पत्नी श्री रोडू जाति गुर्जर निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 251 (क) आर0टी0एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री विजय माहेश्वरी

अप्रार्थी – श्री रामेश्वर प्रसाद रेगर

निर्णय दिनांक :– 13/04/2022

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण दोनों आपस में सगे भाई है। ग्राम हुवालिया पटवार क्षेत्र पंगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में प्रार्थी घासीलाल के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा संख्या 71 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व प्रार्थी जमनालाल के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा संख्या 3113/71 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा विस्थित है। मौके पर दोने भूमियो का प्रार्थीगण ने एक ही चक बनाया हुआ है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमियों पर जब से उक्त भूमिया प्रार्थीगण को आवंटित हुई है तब से ग्राम हुवालिया मे से भूमि खसरा संख्या 75 सिवायचक में बने हुए आम रास्ते से होते हुए कुषि भूमि खसरा संख्या 73 की दक्षिणी मेर

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (राज0)

ने हुए रास्ते से होते हुए खसरा संख्या 72 की दक्षिणी पश्चिमी मेर पर होते हुए सरा संख्या 71 पर आते रहे है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेतों पर कृषि यंत्र, खाद ज फसल आदि को लाते ले जाते रहे है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की भूमियों पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते के मध्य केवल मात्र कृषि भूमि खसरा संख्या 73 श्री किशनलाल, अप्रार्थी संख्या 7व 8 श्रीमति बदाम व सीता के स्वामित्व व अधिपत्य की है एवं शेष भूमिया सिवायचक है। श्री किशनलाल की मृत्यु आज से करीब 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 श्री किशनलाल के विधिक वारिसान है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है। जून 2018 तक उक्त रास्ते पर किसी भी पक्ष का कोई अवरोध नही था। जुन 2018 से कुछ पहले किशनलाल की मृत्यु हो गई और किशनलाल की मृत्यु के बाद किशनलाल का पुत्र कालूलाल प्रार्थीगण के उक्त रास्ते में अवरोध करने लगा एवं लडाई झगडा करने लगा तो प्रार्थीगण ने लडाई झगडे से बचने के लिए कृषि भूमि खसरा संख्या 73 की दक्षिणी मेर पर बने रास्ते की कीमत 30,000 रूपये अप्रार्थी कालूलाल को अदा कर रास्ता खरीद लिया एवं खरीद की लिखापढी कर नोटेरी से तस्दीक करा लिया और इस प्रकार प्रार्थीगण लगातार उक्त रास्ते से अपने खेत पर आ रहे है। प्रार्थीगण गरीब काश्तकार मजदूर पेशा व्यक्ति है। अप्रार्थीगण ताकतवर एवं लडाकू किस्म के व्यक्ति है। अप्रार्थीगण ने पुनः कृषि भूमि खसरा संख्या 73 की दक्षिणी मेर पर बने रास्ते में अवरोध करना शुरू कर दिया है। अप्रार्थीगण आए दिन गाली गलौच एवं लडाई झगडा करते है एवं प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से अपने खेतों पर नहीं आने दे रहे है। अभी 1 मार्च के आसपास अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते पर टांटी बांध दी एवं प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आने जाने नहीं दे रहे है। प्रार्थीगण के पास अपने स्वामित्व की भूमियों पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते के कृषि भूमि खसरा संख्या 73 से निकल रहे हिस्से के 30,000 रूपये भी अप्रार्थीगण को अदा कर दिये है। यदि प्रार्थीगण को उक्त रास्ता बहाल करवाकर नहीं दिलाया गया तो प्रार्थीगण की भूमि पर प्रार्थीगण काश्त ही नहीं कर सकेंगे। प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु कृषि भूमि खसरा संख्या 73 की दक्षिणी मेर पर 10 फुट चौडा रास्ता दिलाया जाना एवं राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि में आने वाली भूमि की कीमत अप्रार्थीगण को अदा करने अथवा न्यायालय श्रीमान में जमा करवाने को तत्पर एवं तैयार है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण 1 मार्च 2019 के आसपास अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते पर टांटी बांधकर प्राथीगण को उक्त रास्ते से आने जाने नहीं देने पर उत्पन्न हुआ है प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने के साथ पेश है।

अतः प्रार्थीगण की प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को भूमि खसरा संख्या 73 की दक्षिणी मेर पर पूर्व पश्चिम लम्बाई में 10 फुट चौडा रास्ता बाजार कीमत पर दिलाए जाने का आदेश प्रदान करते हुए रास्ते में उपयोग आने वाली कृषि भूमि को अप्रार्थीगण के खाते से कम की जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गा। अप्रार्थीगण 1, 2 व 4 लगायत 8 की ओर से प्रस्तावित रास्ते की मौका रिपोर्ट पेश की हुई है जो शामिल मिसल है के अनुसार निर्णय किये जाने का अंकन अपने जवाब पेश किया है। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 लगायत 8 की ओर से निम्न जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तत है:– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित खसरा संख्या 73 की भूमि किशनलाल व अप्रार्थी बदाम, सीता के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि होना एवं किशनलाल की मृत्यु होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता बताया जा रहा है वहा वह रास्ता न होकर अप्रार्थीगण के खाते कब्जे की भूमिया है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज होकर खेती कर रहे है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 अस्वीकार है। शेष तथ्य अन्य आक्षेप मे दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 अस्वीकार है। कृषि भूमि खसरा सख्या 73 की दक्षिणी मेर पर प्रार्थीगण का कोई रास्ता नहीं है इसलिए उक्त रास्ता में अवरोध करने लडाई झगडा करने एवं रास्ते पर टांटी बाधने के समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 अस्वीकार है। शेष तथ्य अन्य आक्षेप में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 अस्वीकार है प्रार्थीगण को खसरा संख्या 73 की दक्षिण मेर पर 10 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाता है तो प्रार्थीगण के खाते की भूमि नष्ट हो जावेगी इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवेचन अन्य आक्षेप में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 अस्वीकार है। प्रार्थीगण का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 व 11 कानून है। प्रार्थीगण की प्रार्थना समस्त अस्वीकार है, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जाने के खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा संख्या 73 की दक्षिण मेर पर पूर्व से पश्चिम 10 फिट चौडा रास्ता दिलाये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण के खेतों पर आने जाने वाला रास्ता नवनर्मित तालाब के सहारे था जिस पर होकर अपने खेतों पर आते जाते है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 73 के दक्षिण मेर पर 10 फिट चौडा रास्ता बनाया जाता है तो अप्रार्थीगण की कृषि भूमि अकृषि योग्य हो जायेगी उसकी सम्पति (फसलों) को नुकसान होगा तथा जो खेत वर्तमान में चारों आरे खातेदारों की भूमिया से घिरा हुआ है उसके रास्ते से खुला हो जाने से हमेशा मवेशियों के आकर खेत में नुकसान पहुंचाने की सम्भावना बढ जायेगी। तथा नहीं नक्शा में रास्ता चिन्हित है। प्रार्थीगण चालाक किस्म के व्यक्ति है रास्ते के बहाने अप्रार्थीगण की खाते कब्जे की भूमि को हडपना चाहते है इस उद्देश्य से बिना खातेदारों की सहमति के अप्रार्थी संख्या 1 कालू को बहला फुसलाकर दिवली ले गये तथा जबरन दबाव बनाकर राम में 30,000 रूपये का फर्जी रास्ता खरीद स्टाम्प नोटेरी से तस्दीक करा लिया प्रार्थीगण जबरन भूमि को हडपने लगे व विरोध करने पर मारपीट की जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई इसलिए भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से प्रस्तावित रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक :– राजस्व/21/568 दिनांक 22.11.2021 से वास्ते निर्णय हेतु प्रेषित की जा चुकी है जो शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (राज.)

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान [प्रस्त]ुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपने [खा]तेदारी भूमि खसरा संख्या 71 व 3113/71 वाके ग्राम हुवालिया पटवार मण्डल पगारां में आने जाने हेतु खसरा सं0 73 की दक्षिणी मेड पर पूर्व–पश्चिम लम्बाई मे 10 फिट चौड़े रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार साहब हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

वकील प्रार्थीगण के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि मौके पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है, रास्ता घोषित करने से हमारी भूमियों का स्वरूप बिगड जाएगा, प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमियों खसरा संख्या 71 व 3113/71 ग्राम हुवालिया पटवार मण्डल पगांरा में पहुचने हेतु ग्राम हुवालिया के खसरा सं0 73 की दक्षिणी मेड़ पर पूर्व से पश्चिम लम्बाई में 10 फिट चौडे रास्ते में लगभग 0.0486 हैक्टेयर भूमि काम में आवेगी, उक्त खसरा नम्बर कालू, फोरू वगै0 पिता किशन लाल व अन्य की खातेदारी में दर्ज है। साथ ही खसरा नम्बर 72 गे0मु0बर्डा सिवायचक में से लगभग 0.0647 हैक्टेयर भूमि उपयोग में आयेगी। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की भूमि तक आने जाने हेतु अन्य कोई वैक्लपिक रास्ता नहीं है। उक्तानुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि खसरा सं0 71 व 3113/71 ग्राम हुवालिया पटवार मण्डल पगांरा में पहुचने हेतु ग्राम हुवालिया के खसरा सं0 73 की दक्षिणी मेड़ के सहारे 10 फिट चौडे रास्ते में लगभग 0.0486 हैक्टेयर भूमि जो कि अप्रार्थी कालू वगै0 की खातेदारी में है व खसरा सं0 72 गैरमुमकिन बरडा राजकीय सिवायचक में से 0.0647 हैक्टेयर भूमि को प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि आबादी से एक किलोमीटर से अधिक दूरी व रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर है। जिसकी डीएलसी राशि 494624/– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली राजकीय सिवायचक भूमि 0.0647 हैक्टेयर भूमि की राशि 32002रू/– जिसकी दुगनी राशि 64004रू/– प्रतिकर राशि का भुगतान राजकोष में जमा करवाने व खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0486 हैक्टेयर भूमि की राशि 24038रू/– जिसकी दुगनी राशि 48076रू/– प्रतिकर राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार किया जावे। प्रतिकर राशि का भुगतान करने पर निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरिर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)